मु0न0:– 02/2022

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

तारीख रजूः– 19.01.2022

मु0न0 02/2022 पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. करणसिंह पुत्र रामलल्लू जाति मीना
2. रोहिताश पुत्र रामलल्लू जाति मीना
3. कैलाशी पि0 रामलल्लू जाति मीना
4. बिरमा पि0 रामलल्लू जाति मीना
5. हुकम बाई पि0 रामलल्लू जाति मीना
6. महावीरया पि0 मिश्रया जाति मीना
7. हरकेश पि0 मिश्रया जाति मीना
8. शिवराम पि0 मिश्रया जाति मीना

समस्त निवासीयान कमालपुरा तहसील टोडाभीम।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. अमरसिह पुत्र बुधराम जाति मीना
2. विश्राम पुत्र बुधराम जाति मीना
3. गंगाराम पुत्र बुधराम जाति मीना
4. हुकम सिंह पुत्र बुधराम जाति मीना
   निवासीयान कमालपुरा तहसील टोडाभीम।
5. तहसीलदार टोडाभीम।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए

उपस्थिति :– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (प्रार्थीगण)
श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांकः– 28.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कमालपुरा की आराजी ख0न0 587 रकबा 0.16 है0 प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 586 रकबा 0.12 है0 अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जो कि साबिक ख0न0 446/1 रकबा बीधा 2 विस्वा था जो प्रार्थीग्ण के बाबा व प्रार्थी न0 6 ता 8 के पिता मिश्रया के नाम एवं अप्रार्थीग न0 1 ता 4 के पिता बुधराम के नाम संयुक्त खातेदारी की आराजीयात थी जो जमाबन्दी सम्वत 2036–39 मे मिश्रया, बुधराम पि0 उँकार के नाम खातेदारी दर्ज थी जिसका मौके पर एक ही चक था जिसके दक्षिण दिशा मे हिण्डौन गुढाचन्द्रजी सडक जिसका वर्तमान ... है जो मौके पर ग्राम सडक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:03:06 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीगण के पिता एवं बाबा मिश्रया निरक्षर थे ... अप्रार्थीगण के पिता बुधराम पढा लिखा एवं चालाक किस्म का व्यक्ति था, जिस कारण प्रार्थीगण के पिता व बाबा मिश्रया अपने भाई बुधराम पर विश्वास करता था और अप्रार्थीगण के पिता बुधराम ने उसी विश्वास का फायदा उठाकर प्रार्थीग्ण के पिता व बाबा मिश्रया की अनुपस्थिति मे सडक के सहारे की आराजी को

मु0न0:– 02/2022

प्रशासन आपके द्वारा अभियान 2004 मे अपने पिता बुधराम के नाम साज करके अपने नाम बटवारा करा लिया हाल ख0न0 586 रकबा 0.12 है0 जो सडक के सहारे है को अप्रार्थीगण के पिता बुधराम ने अपने नाम खातेदारी करा ली है। उक्त फर्जी व फेक सहमतिपत्र का जब प्रार्थीगण को पता चला तो प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी है जो माननीय राजस्व मंडल अजमेर के यहाँ विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित ख0न0 587 पर आने जाने व पशुधन लाने तथा भूमि की जुताई के लिए ट्रेक्टर ट्रॉली के आने जाने के लिए मुख्य सडक ख0न0 567 से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि ख0न0 586 के बतरफ पश्चिम दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण 30 फिट चौडा रास्ता जो मौके पर प्रार्थीगण के रास्ते के रूप मे काम आती है। उस रास्ते को प्रार्थना पत्र साथ सलग्न नक्शे मे प्रदिर्शित किया गया है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि पर आने–जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

यह है कि वॉका दिनांक 09.01.2022 को अप्रार्थीगण द्वारा भूमि ख0न0 586 की मुख्य सडक पर बाउन्ड्री वाल करना चालू कर दिया जिसका प्रार्थीग्ण द्वारा विरोध करते हुये कहा कि तुम्हारे द्वारा मुख्य सडक से भूमि ख0न0 587 पर आने जाने का रास्ता बंद हो जावेगा। पहले भी तुम्हारे पिता बुधराम द्वारा सम्पूर्ण सडक के सहारे की भूमि को अपने नाम हमारे पिता व बाबा बुजुर्ग मिश्रया की जानकारी मे लाये बिना सडक सहारे वाली जमीन की खातेदारी करा ली है और अब तुम हमारे रास्ते को बाउन्ड्रीवाल करके बन्द कर रहे हो, इस पर अप्रार्थीगण नाराज हो गये और मौके पर पत्थर बजरी डालकर रास्ता अवरूद्व कर दिया और पुख्ता बाउन्ड्रीवाल करने की धमकी दी इसलिये यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0न0 587 रकबा 0.16 है0 मे आने जाने के लिए मुख्य सडक ख0न0 567 से ख0न0 586 के पश्चिम दिशा की तरफ डोल के सहारे 30 फिट का रास्ता मुख्य सडक ख0न0 567 से ख0न0 587 तक मे रिकार्ड एवं मौके पर रास्ता निकाला जाकर राजस्व रिकार्ड मे तरमीम करने के आदेश दिये जावे एवं प्रार्थीगण ख0न0 587 मे मे रास्ते के लिए निकाली गई भूमि का आदेशानुसार मुआवजा राशी अप्रार्थीगण खातेदार को अदा करने को तैयार है। एवं निकाले गये रास्ते के संबध मे अप्रार्थीगण रास्ते के संबध मे प्रार्थीग्ण के उपयोग उपमोग के संबध मे व्यवधान पैदा नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 5 तहसीलदार टोडामीम उपस्थित। अप्रार्थीगण न0 1 ता 4 ने जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम कमालपुरा मे होना स्वीकार है शेष प्रार्थना पत्र जिस प्रकार तहरीर किया गया है वह स्वीकार नही है। प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 587 मे आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की भूमि ख0न0 586 मे बतरफ पश्चिम दिशा की और 30 फिट चौडा रास्ता नही है नाही मौके पर किसी प्रकार का रास्ता है। प्रार्थीग्ण ने प्रार्थना पत्र मे जो नक्शा पेश किया है वह खिलाफ मौका व गलत है। ख0न0 586 मे होकर के वर्तमान मे प्रार्थीगण का व पूर्व मे इनके बुजुर्गो का कभी आने–जाने का रास्ता नही रहा है। तब रास्ता बंद करने की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। इसलिये इस भूमि पर धारा 251 ए लागू नही होते है। ख0न0 587 मे आने जाने के लिए रास्ता ख0न0 584, 585 मे होकर जा रहा है। यह रास्ता सी.सी.रोड है जो ग्राम पंचायत ने बनाया है यह रास्ता ख0न0 587 के लगवा है, चुकि ख0न0 584, 585 मे आबादी बसी हुई है। ख0न0 586 मे होकर कोई रास्ता किसी प्रकार का नही है।

यह है कि प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 कैम्प कमालपुरा मे उभयपक्ष खातेदार की मौजूदगी मे गवाहो के समक्ष एवं पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक कमालपुरा की रिपोर्ट पर स्वंय पीठासीन अधिकारी के समक्ष बटवारा किया गया है जिसमे अप्रार्थीगण के पिता व प्रार्थीगण के पिता की आपसी सहमति के आधार पर विभाजन किया गया है। विभाजन प्रार्थीगण के बुजुर्गो व अप्रार्थीगण के बुजुर्गो ने स्वीकार कर अपनी–अपनी भूमिया पर काबिज है। इस विवादित भूमि के अलावा अन्य भूमि का प्रार्थीगण के बुजुर्गो व अप्रार्थीगण के बुजुर्गो के मध्य विभाजन हुआ है। प्रार्थीगण ने विभाजन आदेश की दिनांक 06.02.2024 के विरूद्ध अपील न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:03:06 IST
Reason: Attested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडामीम, जिला-गंगापुर सिटी

उनवानः— करणसिह बनाम अमरसिह

मु0न0ः— 02/2022

विभाजन आदेश की दिनांक 06.02.2024 के विरूद्व अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के यहॉ दिनांक 25.09.2020 को प्रस्तुत की थी। उक्त अपील दिनांक 14.07.2021 को खारिज कर दी है तथा विभाजन आदेश यथावत माना है। अप्रार्थीगण की भूमि ख0न0 586 रकवा 0.12 है0 से प्रार्थीगण का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। इस खसरा नम्बर 586 की तीन तरफ पक्की बाउन्ड्रीवाल हो रही है तथा ख0न0 587 की तरफ डोल मेड हो रही है। प्रार्थीगण ने इसी भूमि के संबध मे न्यायालय हाजा मे दावा स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रोहिताश बनाम अमरसिंह वगै0 प्रस्तुत किया है जिसमे विवादित ख0न0 587 के संबध मे किया है। जिमसे रास्ते के संबध मे किसी प्रकार का कथन नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम कमालपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075—78 मे ख0न0 587 रकवा 0.16 है0 प्रार्थीगण के नाम रिकार्ड दर्ज है एवं ख0न0 586 रकवा 0.12 है0 अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 567 रकवा 2.08 गै0मु0सडक संस्था के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ख0न0 586 मे होकर 30 फिट रास्ते का अनुतोष चाहा है। गैरसायलान व उनके वकील ने कथन किया कि सायलान ख0न0 586 मे मुताबिक नक्शा ट्रेस जमीन के बदले मे 14 फिट रास्ते की सहमति जताई है। गैरसायलान द्वारा की गई सहमति को सायलान व उनके वकील ने स्वीकार किया है। अतः उक्त विवेचन अनुसार सायलान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते है कि सायलान द्वारा ग्राम कमालपुरा की आराजी ख0न0 587 रकवा 0.16 है0 मे से गैरसायालन की आराजी ख0न0 586 रकवा .12 है0 मे से ख0न0 588 के लगवा बतरफ 586 मे 14 फिट रास्ते की भूमि जो सायलान की ख0न0 587 के रास्ते के लिये दी जाकर उक्त दी गई रास्ते की भूमि के एवज मे 14 फिट रास्ते का त्रफल भूमि गैरसायलान को दिये जाने पर आराजी ख0न0 586 रकवा 0.12 है0 मे पश्चिम दिशा ी तरफ डौल के सहारे 14 फिट चौड़ा रास्ता मुख्य सडक ख0न0 567 से ख0न0 587 तक राजस्व कार्ड मे दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:03:06 IST
Reason: SelfAttested